

उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद की सिविल लाइन्स योजना

संख्या-2 भाग-2 बदायूँ में

नववर्ष के उपलक्ष पर
आवासीय भूखण्ड प्राप्त करने का
सुनहरा अवसर



खुशखबरी

273 भूखण्डों
का ऑनलाइन /
ऑफलाइन
पंजीकरण

ऑनलाइन/ऑफलाइन पंजीकरण अवधि 05.01.2021 से 05.02.2021 तक

रेरा पंजीकरण सं. UPRERAPRJ830334

क्रं. सं.	भूखण्डों का साइज	भूखण्ड की संख्या (कुल 273)	क्षेत्रफल (वर्ग मी 0 में)	भूमि दर प्रति वर्ग मी.	भूमि सहित मानक भूखण्ड का विक्रय मूल्य	पंजीकरण धनराशि	रिमार्क
1	5.00 x 8.00 mtr.	59	40.00	14750.00	590000.00	30000.00	भूमि दर में नियमानुसार फ्रीहोल्ड चार्ज कानॉन एवं अन्य चार्ज अतिरिक्त देय होगा एवं जी.एस.टी. नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
2	5.00 x 10.00 mtr.	20	50.00	14750.00	737500.00	37000.00	
3	6.00 x 12.00 mtr.	28	72.00	14750.00	1062000.00	54000.00	
4	7.00 x 15.00 mtr.	02	105.00	14750.00	1548750.00	78000.00	
5	8.00 x 16.00 mtr.	55	128.00	14750.00	1888000.00	95000.00	
6	9.00 x 18.00 mtr.	60	162.00	14750.00	2389500.00	120000.00	
7	10.00 x 20.00 mtr.	08	200.00	14750.00	2950000.00	148000.00	
8	12.50 x 20.00 mtr.	21	250.00	14750.00	3687500.00	185000.00	
9	15.00 x 20.00 mtr.	20	300.00	14750.00	4425000.00	222000.00	

पंजीकरण पुस्तिका रु. 1000/- (जीएसटी सहित) भुगतान कर सम्बन्धित बैंक की शाखा से प्राप्त की जा सकेगी एवं आवेदन पत्र भरकर (पंजीकरण धनराशि सहित) सम्बन्धित बैंक में जमा की जा सकती है।

भूखण्डों का आवंटन लॉटरी ड्रा द्वारा

-: ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक :-

नियम व शर्तें:-

- पंजीकरण से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध ई-पंजीकरण पुस्तिका देखें।
- समस्त भुगतान परिषद द्वारा अतिरिक्त बैंक से नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक RTGS/NEFT एवं ऑनलाइन के माध्यम से जमा किये जा सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक 'उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद' UPAVP के नाम देय हो, के पत्र में होना चाहिए।
- एक मुश्त भुगतान का विकल्प धयन करने वाले आवेदकों को आवंटन में बरीयता दी जायेगी।
- आवंटन के पश्चात् आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से 45 दिन में भूखण्ड के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।
- न्यूनतम व्याज दर पर किराये की सुविधा।
- किरीसी भी भुगतान में किराये की दशा में अग्रशेष धनराशि पर दिनांक 01.04.2020 को प्रचारी व्याज दर MCLR (7.95%) +1% सामान्य व्याज दर के साथ 2% अतिरिक्त व्याज की दर से व्याज देय होगा। आवंटनी द्वारा समयानुसार भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार पंजीकरण/आवंटन के निरस्तकरण एवं कटीती कार्यवाही की जायेगी।
- परिषद विनियमों के प्रावधानों में किरीसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किरीसी विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्याय निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। किरीसी विषय अथवा विवाद पर आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- रेरा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट www.rrera.in में देखें।

इण्डसट्रिज बैंक
इन्दिरा चौक, बदायूँ
सम्पर्क

श्री आयुष सक्सेना (आनलाइन पंजीकरण हेतु)
फोन - 0522-6722315 मो. 7355449745

श्री वी.एस.करकी (ऑफलाइन पंजीकरण हेतु)
मो. 7408099444

परियोजना
पूर्ण होने की अवधि
36 माह

अधिक जानकारी के हेतु सुश्री रुमा रतन, सम्पत्ति प्रबन्धक, कार्यालय बरेली योजना सं-02 बदायूँ मो. 8795810741 में सम्पर्क कर सकते हैं।



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : www.upavp.in, Email : info@upavp.com



अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें।



डायल करें

टोल फ्री : 1800-180-5333

मो. 8795811722, 8795810741, 8795810040

या परिषद की वेबसाइट पर लॉग इन करें